



भारतीय
771 प्रौद्योगिकी
21-6-2017 संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



INDIAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

☎ : दूरभाष (0542) 6702068, 2307004 (सं.कु); 6702076, 2307005 (कार्यालय); फैक्स : 91-542-2368428; ईमेल: administration@itbhu.ac.in

कुलसचिव कार्यालय
(प्रशासन)

Office of the Registrar
(Administration)

पत्र सं. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/सा.प्रशा./3(8-ग)/रा.भा.प्र./सामान्य 339 दिनांक: 20.06.2017

- | | |
|---|--|
| 1. समस्त अधिष्ठातागण | 10. चीफ काउंसलर, जिमखाना |
| 2. समस्त विभागाध्यक्ष/स्कूलों के समन्वयक | 11. उप मुख्य आरक्षाधिकारी |
| 3. प्रभारी इकाई/केन्द्र/कार्यालय | 12. समन्वयक, गांधी प्रौद्योगिकी स्नातक केन्द्र |
| 4. समस्त आचार्य प्रभारी | 13. समस्त प्रशासनिक संरक्षक |
| 5. अध्यक्ष, संस्थान निर्माण समिति | 14. समस्त संयुक्त कुलसचिव |
| 6. अध्यक्ष, कैफेटेरिया | 15. उप कुलसचिव |
| 7. अध्यक्ष, संरक्षक परिषद | 16. समस्त सहायक कुलसचिव |
| 8. अध्यक्ष, सीनेट लाइब्रेरी समिति | 17. समस्त अनुभाग अधिकारी |
| 9. अध्यक्ष, वेब मैनेजमेंट एंड ईमेल सर्विसेज समिति | भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)। |

विषय : विभागीय शब्दावली उपलब्ध कराने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह अवगत कराना है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रशासनिक शब्दों (अंग्रेजी-हिन्दी) का एक बृहद संकलन 'बृहत् राजभाषा शब्दावली' तैयार करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में संस्थान से विभागीय शब्दावली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः इस संदर्भ में निर्देशानुसार, डॉ. श्रीनारायण सिंह, निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.05.2017 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप अपने विभाग/स्कूल/अनुभाग/इकाई में दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्दों (अंग्रेजी-हिन्दी) की सूची तैयार कर संस्थान के राजभाषा प्रकोष्ठ, कुलसचिव कार्यालय को दिनांक 30.06.2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उन्हें संकलित कर संस्थान की समेकित विभागीय शब्दावली की सूची उक्त विभाग को प्रेषित की जा सके। साथ ही शब्दों की सूची तैयार करते समय कृपया यह ध्यान रखें कि आपके सूची के शब्द इस कार्यालय द्वारा आपको प्रेषित प्रशासनिक शब्दावली (Glossary of Administrative Terms)- अंग्रेजी-हिन्दी में न दिये गए हों।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

रंगेश

20/06/17

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)- प्रथम

पत्र सं. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/सा.प्रशा./3(8-ग)/रा.भा.प्र./सामान्य दिनांक: 20.06.2017
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक के निजी सचिव
2. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)-प्रथम



सत्यमेव जयते

केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग

केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग, एन.टी.ओ. भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
 Central Minority Commission, B-Block, 6th Floor, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003

फा.स. 24(10)/2013 के अन्वयूरो (पार्ट-II)
 सेवा में,

दिनांक 29/05/2017

कार्यालय प्रमुख (प्रशासन),
 भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन/
 उपक्रम/आयोग/सम्स्थान/बैंक

विषय:- विभागीय शब्दावली उपलब्ध कराने के संबंध में

महोदय/महोदया,

प्रशासन में हिंदी का प्रयोग और प्रचलन बढ़ाने तथा राजभाषा हिंदी का सरल एवं सहज प्रयोग करने के लिए माननीय गृह राज्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसरण में राजभाषा विभाग ने प्रशासनिक (मुख्यतः शासन के कामकाज में प्रयुक्त होने वाले) अंग्रेजी-हिंदी शब्दों का एक बृहद संकलन 'बृहत् राजभाषा शब्दावली' नाम से तैयार करने का निर्णय लिया है।

2. भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, उपक्रमों, आयोगों आदि के कामकाज में सामान्य प्रशासनिक शब्दों के अलावा वित्त, वाणिज्य, मानविकी, प्रौद्योगिकी, विज्ञान आदि अनेक विषयों से संबंधित शब्दावली का प्रयोग होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार विविध विषयों की शब्दावलियाँ और विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई विभागीय शब्दावलियों को सम्मेलित करते हुए बृहत् राजभाषा शब्दावली तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इसका उद्देश्य है - भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, उपक्रमों आयोगों आदि में प्रयुक्त होने वाले सामान्य, प्रशासनिक, तकनीकी, अर्धविधिक/विधिक आदि शब्दों को यथा संभव एक संकलन में उपलब्ध कराना ताकि प्रयोक्ता को सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के समय अंग्रेजी शब्दों के बटले हिंदी शब्दों के चयन में आसानी हो और कहीं भटकना न पड़े। इससे सरकारी काम-काज में हिंदी भाषा का चलन बढ़ाने में सुविधा होगी तथा सरकार के जन-हितकारी कार्यों और योजनाओं आदि से संबंधित जानकारी जन-जन तक पहुंच पाएगी।

जारी

-2-

3. सर्वोच्च (राजभाषा) द्वारा 'बृहत राजभाषा शब्दावली' तैयार करने का काम केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया है।

4. उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि आपके मंत्रालय/ विभाग/ सगठन/ उपक्रम/ आयोग द्वारा यदि कोई विभागीय शब्दावली तैयार की गई है तो उस शब्दावली की कॉपीराइट अपने पास यथावत सुरक्षित रखते हुए, उसकी मुद्रित प्रति और सांफ्टकॉपी (वरीयतः वर्ड फाइल) हमें उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे कि 'बृहत राजभाषा शब्दावली' में उन्हें शामिल किया जा सके।

भवदीय,

(डॉ. श्रीनारायण सिंह)

निदेशक

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय

प. दीनदयाल अत्यादय भवन, 8वा तल

केन्द्रीय कार्यालय परिसर लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

दूरभाष 011 24362025

ई-मेल